



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 395 ]

नई दिल्ली, सोमवार, जून 12, 2000/ज्येष्ठ 22, 1922

No. 395]

NEW DELHI, MONDAY, JUNE 12, 2000/JYAISTHA 22, 1922

कोयला मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 जून, 2000

का. आ. 566(अ).—केंद्रीय सरकार, कोयला खान नियंत्रण आदेश, 2000 के खंड 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह विनिर्दिष्ट करती है कि उक्त आदेश के खंड 6, 9 और 11 के अधीन केंद्रीय सरकार की शक्तियों का भारत सरकार के कोयला नियंत्रक द्वारा प्रयोग किया जाएगा।

[सं. 28012/1/99-सी.ए.]

देवदास छोटाराय, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COAL

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th June, 2000

S. O. 566(E).—In exercise of powers conferred by clause 13 of the Colliery Control Order, 2000, the Central Government hereby specifies that the powers of the Central Government under clauses 6, 9 and 11 of the said order shall be exercised by the Coal Controller in the Government of India.

[No. 28012/1/99-CA]

DEVADAS CHHOTRAY, Jt. Secy.